Form No. III

फर्दअहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

कमला बनाम **विनोद कुमार वगैराह**

कार्यवाही अन्तर्गत :– धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

किस्म मुकदमा **प्रार्थना–पत्र (रे0वि0)** नं0 **102** सन् **2024**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.12.2024	प्रार्थना-पत्र बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थीया कमला पुत्री नगजीराम गाडरी निवासी उसरोल तहसील भूपालसागर ने एक प्रार्थना-पत्र **दौरान-जनसुनवाई** के प्रस्तुत किया गया। हमने जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना-पत्र बाबत् न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़ में लंबित प्रकरण संख्या **034/2024 रे.वा. अनवानी विनोद कुमार बनाम कमला वगैराह का प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़** में स्थानांतरित किये जाने बाबत् पेश किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना-पत्र के साथ किसी भी प्रकार से कोई दस्तावेजा प्रस्तुत नहीं किये है केवल मात्र प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है। हमने प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को ग्राह्यता के बिन्दु चिंतन-मनन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 235 के तहत अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी न्यायालय भूपालसागर में विचाराधीन प्रकरण को दीगर न्यायालय में मुन्तकिल(स्थानान्तरित) किये जाने के प्रावधान विधि द्वारा प्रावधित किये गये एवं इस बाबत् इस न्यायालय को मुन्तकिल(स्थानान्तरित) किये जाने बाबत् क्षेत्राधिकारिता प्राप्त है, किन्तु उक्त आदेश न्यायिक प्रकृति का होकर प्रकरण के पक्षकारान को विधिक प्रावधानों के तहत पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया जाकर आदेश पारित किये जाने के प्रावधान विधि द्वारा प्रावधित किये गये है, जबकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीया जनसुनवाई में परिवाद पेश किया गया एवं परिवाद के साथ किसी भी प्रकार से कोई प्रमाणित दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किये गये एवं प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र विधिक प्रावधानों के तहत प्रस्तुत नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीया का प्रार्थना-पत्र दर्ज योग्य नहीं पाया जाता है। प्रार्थीया से प्रार्थना-पत्र के संबंध में राजस्थान राजस्व न्यायालय मैन्यूल, 1956 के नियम 17 के प्रावधानों का पालन किया जाना अपेक्षित है, जो कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीया द्वारा पालन नहीं किया जाना जाहिर होता है ऐसी स्थिति में प्रार्थीया का प्रार्थना-पत्र प्रथम दृष्टया की न्यायालय में पोषणीय नहीं है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना-पत्र ग्राह्यता के बिन्दु पर पोषणीय नहीं होने से एडमिशन स्तर पर खारीज किये जाने योग्य है। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना-पत्र ग्राह्यता के बिन्दु पर पोषणीय नहीं होने से एडमिशन स्तर पर खारीज किये जाने का आदेश दिया जाता है, एवं न्याय हित में प्रार्थीया को विधिक प्रावधानों के तहत प्रार्थना-पत्र मय दस्तावेजात के प्रस्तुत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आदेशानुसार अभिलेख में अंकन किया जावें। अहकाम की प्रति पोर्टल पर अपलोड की जावे। अहकाम की प्रति प्रार्थीया कमला पुत्री नगजीराम गाडरी निवासी उसरोल तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़ को निःशुल्क जरिये रजिस्टर्ड डाक के प्रेषित की जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें। -S/d- (आलोक रंजन) जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ 20.12.2024 सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official	